2016 का विधेयक संख्यांक 170

[दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

5 (2) यह 20 अगस्त, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2007 के अधिनियम सं0 29 की पहली अनुसूची का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की पहली अनुसूची में क्रम सं0 30 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी :--

(1)	(2)	(3)
"31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) प्रौद्योगिकी की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का उपबंध करता है और इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान तथा कला शाखाओं में अनुदेशों और अनुसंधान का उपबंध करता है तथा ऐसी शाखाओं में शिक्षण को अग्रसर करने और जानकारी के प्रसार तथा ऐसी संस्थाओं से संबंधित कतिपय अन्य मामलों का उपबंध करता है ।

आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 93 में और उक्त अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची में यथा उपबंधित अनुसार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2001 के अधीन सोसाइटी के रूप में 8 सितंबर, 2015 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है तथा इसने केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अनुसार पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है ।

पूर्वोक्त को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक 20 अगस्त, 2015 के प्रभाव से, वह तारीख जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश को अनुमोदन प्रदान किया गया था, उसकी स्थापना का प्रस्ताव करता है ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
13 जुलाई, 2016

प्रकाश जावडेकर

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 का संशोधन करके राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने का प्रस्ताव करता है । केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा योजना शीर्षों के अधीन सारवान सहायता प्रदान की जाएगी ।

2. चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए की रकम आबंटित की गई है, तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस उपदर्श के साथ 226.00 करोड़ रुपए का परिव्यय (पूंजी व्यय के लिए अनावर्ती के रूप में 94.73 करोड़ रुपए, आवर्ती व्यय के रूप में 114.32 करोड़ रुपए और आकस्मिक व्यय के रूप में 16.72 करोड़ रुपए) किया गया है कि निधियों की मंजूरी वार्षिक बजटीय कार्य के एक भाग के रूप में आवश्यकता का निर्धारण करने के पश्चात् वृद्धि के आधार पर होगी ।

3. विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

GMGIPMRND—1546LS(CRC)—15-7-2016.